भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

INDIA ... ICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AB 736991

11 SEP 2009

<u>गुलाब सिंह बेला सिंह चैरिटेबिल ट्रस्ट</u>

<u>ट्रस्ट -विलेख</u>

1. मैं **प्रवीण कुमार सिंह** पुत्र **स्व0 महेन्द्र प्रताप सिंह**, निवासी 163बी/9, सोहबतियाबाग, इलाहाबाद।

जो कि मेरे पूज्य पिता महेन्द्र प्रताप सिंह एक सहृदय, सज्जन, धार्मिक एवं समर्पित समाजसेवी थे। उन्होंने अपने जीवनकाल में दलितों, पिछड़ों एवं निर्धन व्यक्तियों के उत्थान हेतु अनेक कल्याणकारी कार्य किये। पुत्र होने के नाते मैं अपना दायित्व समझता हूँ कि पिताजी के उपरोक्त कार्यों को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से और आगे बढ़ाऊँ, जिसके लिये मैं एक ट्रस्ट बनाना नितान्त आवश्यक समझता हूँ।

अतः आज दिनांक 24.09.2009 को मैं प्रवीण कुमार सिंह, ट्रस्टकर्ता के रूप में रूपये 11,000/– (रूपये ग्यारह हजार मात्र) प्रदान कर **"गुलाब सिंह बेला सिंह चैरिटेबिलट ट्रस्ट"** सृजित करता हूँ। उपरोक्त राशि ट्रस्ट कोष के रूप में उसकी स्थायी सम्पत्ति होगी। जो ट्रस्ट के बैंक खाते में स्थाई रूप से जमा रहेगी। ट्रस्ट में अधिकतम ग्यारह आजीवन ट्रस्टी होंगे। ट्रस्ट का एक आजीवन चेयरमैन ट्रस्टी होगा। जिसे ट्रस्ट की ओर से सम्पत्तियों के क्रय–विक्रय करने, किराये पर देने व लेने, लीज पर देने व लेने, बन्धक रखने तथा उन अभिलेखों पर हस्ताक्षर करने का विधिक अधिकार होगा। मैंनेजिंग ट्रस्टी का अन्य ट्रस्टियों को नियुक्त करने तथा ट्रस्टीमण्डल की संस्तुति पर उसे हटाने का अधिकार होगा। मैं ट्रस्ट का चेयरमैन ट्रस्टी ट्रस्टी रहूँगा। मेरे बाद चेयरमैन ट्रस्टी का चयन शेष ट्रस्टियों द्वारा सर्वसम्मत अथवा 3/4 के बहुमत से होगा।

(प्रवीण कुमार सिंह)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AB 736992

11 SEP 2009

2. **ट्रस्ट का नाम–** **"गुलाब सिंह बेला सिंह चैरिटेबिल ट्रस्ट"** होगा।

3. **ट्रस्ट का मुख्यालय–** ग्राम–अन्दावाँ, पो0–सराय इनायत, जिला–इलाहाबाद तथा इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा।

4. **ट्रस्ट के उद्देश्य –**

1. शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु विद्यालय, महाविद्यालय/विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, पालीटेक्निक, फारमेसी कालेज, बायोटेक संस्थान एवं अन्य समस्त शैक्षणिक व शोध संस्थानों को संचालित करना।
2. गरीब /निर्धन छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रावासों का निर्माण करना।
3. वृद्धाश्रम एवं अनाथालय का निर्माण एवं व्यवस्था करना।
4. चिकित्सालय, नर्सिंग होम एवं मैटररिटी होम स्थापित एवं संचालित करना।
5. चिकित्सा कालेज स्थापित एवं संचालित करना।
6. नेत्र एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी शिविरों का आयोजन करना।
7. ग्रामीण अन्चल में व्यावसायिक शिक्षा का प्रबन्ध करना।
8. विकलांग केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना।
9. दलितों एवं पिछड़े/कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान हेतु कुटीर उद्योगों को स्थापित कर उन्हें आत्म निर्भर बनाना।
10. अन्य समितियों द्वारा हस्तांतरित विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं का संचालन करना।
11. धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा उनका प्रबन्ध करना।
12. कृषि–वानिकी, फलोद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण सम्बन्धी गतिविधियों का संचालन करना।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH V 844705

17 JUL 2009

13. उद्देश्यों के अनुरूप शोधपरक कार्यों का सम्पादन करना।

14. मानव विकास के लिए विभिन्न प्रकार के अनुसंधान एवं विकासात्मक कार्योक्रमों का संचालन करना।

15. पर्यावरण संरक्षण, संबर्द्धन एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की दिशा में कार्य करना।

16. महिला युवा बाल कल्याण एवं कमजोर वर्गों के कल्याण हेतु प्रशिक्षण एवं रोजगार परक कार्यक्रमों का संचालन करना।

17. कृषि विकास, भूमि सुधार एवं जन संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमों का संचालन करना।

18. मानसिक रूप से मंदित व्यक्तियों के कल्यार्ण कार्यक्रमों का आयोजन करना।

19. महिला हिंसा, बाल–विवाह, सती–प्रथा, छुआछूत, भ्रूण हत्या, बाल अपराध व जनसंख्या वृद्धि आदि सामाजिक समस्याओं के निवारण हेतु कार्य करना।

20. खादी एवं ग्रामोद्योग सम्बन्धी कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को स्वावलम्बी बनाना।

5. <u>ट्रस्ट की आय</u> –

ट्रस्ट की आय स्थायी कोष का ब्याज, लाभांश, सरकारी, अर्द्धसरकारी संस्थाओं द्वारा अनुदान, जनप्रतिनिधियों द्वारा सहायता राशि, उदार व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त चल, अचल सम्पत्ति तथा ट्रस्ट की अन्य सम्पत्तियों से प्राप्त धनराशि आदि से होगी। जिसका उपयोग ट्रस्ट के उद्देश्य पूर्ति में किया जायेगा।

6. <u>ट्रस्ट का गठन</u> –

ट्रस्ट के उद्देश्यों में रूचि/आस्था रखने वाले निम्न महानुभाव –

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH V 844706

17 JUL 2009

क्र0 सं0	ट्रस्टी का नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम	निवासी
1.	श्री प्रवीण कुमार सिंह	स्व0 महेन्द्र प्रताप सिंह	चेयरमैन ट्रस्टी	163बी/4, सोहबतियाबाग, इलाहाबाद
2.	श्रीमती सुशीला सिंह	स्व0 महेन्द्र प्रताप सिंह	ट्रस्टी	ग्राम–अन्दावॉ, पो0–सरायइनायत, इला0
3.	श्री नवीन कुमार सिंह	स्व0 महेन्द्र प्रताप सिंह	ट्रस्टी	ग्राम–अन्दावॉ, पो0–सरायइनायत, इला0
4.	श्रीमती गोल्डी सिंह	श्री प्रवीन कुमार सिंह	ट्रस्टी	163बी/4, सोहबतियाबाग, इलाहाबाद

ट्रस्ट के आजीवन वर्तमान ट्रस्टी होंगे, जो वर्तमान ट्रस्टी मण्डल का गठन करेगें। आवश्यकतानुसार भविष्य में ट्रस्टियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

ट्रस्ट एवं उसके द्वारा संचालित संस्थाओं की समस्त सम्पत्ति ट्रस्टी मण्डल में निहित होगी। ट्रस्टी मण्डल इसे धारण करेगा, इसकी देखभाल करेगा, इसका प्रबंधन करेगा, तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इसका उपयोग करेगा। ट्रस्ट के समस्त कार्य कलाप ट्रस्टी मण्डल द्वारा सर्वसम्मति अथवा बहुमत से लिये गये निर्णयों के अन्तर्गत सम्पादित होगें।

7. **<u>ट्रस्टी मण्डल की बैठकें</u>** –

ट्रस्टी मण्डल की वर्ष में एक बार बैठक जून माह में हुआ करेगी। आवश्यकता पड़ने पर अन्य बैठके भी हो सकती हैं। ट्रस्टी मण्डल की बैठक की लिखित सूचना एवं एजेण्डा कम से कम एक सप्ताह पूर्व प्रत्येक ट्रस्टी को प्राप्त करा दी जायेगी। आकस्मिक बैठकें एक दिन के अन्दर बुलाई जा सकती हैं। आपात स्थिति में ट्रस्ट संबंधी त्वरित निर्णय मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा लिया जा सकता है। जिसका ट्रस्ट की बैठक बुलाकर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 844708

17 JUL 2009

इलाहाबाद

अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ट्रस्ट की बैठक का कोरम कम से कम सात सदस्यों की उपस्थिति होगी। किन्तु स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

8. **ट्रस्टियों की नियुक्ति** –

18 वर्ष से अधिक आयु एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों में रूचि रखने वाले पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को ही चेयरमैन ट्रस्टी, ट्रस्टी नियुक्त कर सकता है।

9. **ट्रस्टी मण्डल की सदस्यता समाप्ति** –

– ट्रस्टी के त्याग पत्र देने,

– ट्रस्ट के उद्देश्य के विपरीत कार्य करने,

– शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम होने,

ट्रस्टी मण्डल की बैठक, जिसमें वह भाग नहीं लेगा, में बहुमत से लिये गये निर्णय के आधार पर चेयरमैन ट्रस्टी उसकी ट्रस्टी मण्डल सदस्यता बिना कारण बताये समाप्त कर सकता है।

10. **ट्रस्ट के पदाधिकारी** –

ट्रस्ट की गतिविधियों को सुचारू रूप संचालन हेतु ट्रस्ट के निम्न पदाधिकारी होंगे–

अध्यक्ष– श्री प्रवीण कुमार सिंह पुत्र स्व0 महेन्द्र प्रताप सिंह, निवासी 163/9, सोहबतियाबाग, इलाहाबाद।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH V 844709

17 JUL 2009

सचिव – श्रीमती सुशीला देवी पत्नी स्व0 महेन्द्र प्रताप सिंह, निवासिनी ग्राम–अन्दावाँ, पो0–सराय इनायत, जिला–इलाहाबाद।

कोषाध्यक्ष – श्रीमती गोल्डी सिंह पत्नी श्री प्रवीण कुमार सिंह, निवासिनी ग्राम–अन्दावा, पोस्ट–सराय इनायत, जिला–इलाहाबाद।

उपरोक्त पदाधिकारियों का चयन ट्रस्टी मण्डल द्वारा ट्रस्टियों में से ही उनके जीवनकाल तक के लिए किया जायेगा।

11. **ट्रस्ट के पदाधिकारियों के अधिकार एवं दायित्व –**

अध्यक्ष–

अध्यक्ष ट्रस्टी मण्डल की बैठको को आहूत करने के लिए सचिव को निर्देश देगा, तथा उसकी अध्यक्षता करेगा। वह मतदान में भाग नही लेगा। वह ट्रस्टी मण्डल के निर्णयों की घोषणा करेगा। बराबर मतों की स्थिति में उसका मत निर्णायक एवं सर्वमान्य होगा। उसकी अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित वरिष्ठतम ट्रस्टी उसके दायित्वों का निवर्हन करेगा।

सचिव

सचिव ट्रस्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। वह अध्यक्ष के निर्देश पर बैठक आहूत करेगा। वह ट्रस्ट की बैठक की कार्यवाहियों का अभिलेखन करेगा। ट्रस्ट के समस्त अभिलेखों का ट्रस्ट कार्यालय में सुरक्षित रखेगा। ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट द्वारा स्थापित एवं संचालित संस्थाओं को आवश्यक निर्देश देगा तथा उसके पालन को सुनिश्चित करेगा। वह ट्रस्ट के समस्त निर्णयों का क्रियान्वयन करेगा। वह न्यायालय, सरकार अथवा अन्यत्र कहीं भी ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करेगा। वह ट्रस्टी मण्डल के निर्णय अनुसार ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के पदों का सृजन करेगा, उस पर नियुक्ति, उनका वेतन, परिश्रामिक, भत्ता तथा दैनिक मजदूरी का निर्धारण आदि कार्य

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 844710

17 JUL 2009

करेगा तथा उसकी सूचना संबंधित संस्था के प्रधान को देगा। वह ऐसे समस्त कार्यो एवं दायित्वों का निवर्हन करेगा जो उसे ट्रस्टी मण्डल द्वारा समय–समय पर करने के लिए अधिकृत किया जाय। उसकी अनुपस्थिति में कोषाध्यक्ष उस बैठक में सचिव का भी दायित्व वहन करेगा।

कोषाध्यक्ष –

कोषाध्यक्ष ट्रस्ट की ओर से उदार मना व्यक्तियों द्वारा दान, ट्रस्ट सम्पत्तियों का किराया, ट्रस्ट सम्पत्तियों की विक्रय राशि, सरकारी तथा अर्द्धसरकारी संस्थाओं द्वारा अनुदान, जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रदत्त सहायता राशि आदि प्राप्त करेगा, तथा उसे ट्रस्ट के बैंक खाते में जमा करेगा तथा उसका लेखा–जोखा रखेगा। उपरोक्त राशि ट्रस्ट के उद्देश्य पूर्ति हेतु ट्रस्ट के निर्देशानुसार उपयोग की जायेगी। ट्रस्ट का वार्षिक बजट तैयार कर ट्रस्टी मण्डल की वार्षिक बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा। ट्रस्टी मण्डल के समस्त वित्तीय पत्राजातों का लेखा परीक्षण करायेगा तथा उसकी रिपोर्ट ट्रस्टी मण्डल के वार्षिक बैठक में प्रस्तुत करेगा। लेखा एवं बैंक संबंधी समस्त पत्रजात ट्रस्ट कार्यालय में सुरक्षित रखेगा।

12. ट्रस्टी मण्डल के अधिकार –

1. किसी राष्ट्रीय बैंक / निजी क्षेत्र के बैंक में अध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से संचालित ट्रस्ट के नाम खाता खोलने हेतु निर्णय लेना।
2. ट्रस्ट एवं ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के नियमों, परिनियमों, उद्देश्यों आदि में संशोधन करना, नये नियम बनाना, तथा अनुपयोगी हो चुके नियमों को समाप्त करना।
3. ट्रस्ट कार्य हेतु कर्मचारियों को नियुक्ति करना, उनके वेतन का भुगतान करना तथा न्यायोचित कारणों से उन्हें पदच्युत करना।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH V 844711

17 JUL 2009

4. ट्रस्ट अथवा उसके द्वारा संचालित संस्थाओं के दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर उन्हें दण्डित करना।

5. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के प्रबन्धन हेतु प्रबन्ध समिति के गठन हेतु संविधान/नियमावली बनाना।

13. ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था की, ट्रस्ट के उद्देश्यों के विरूद्ध कार्य करने वाली अथवा विवादित प्रबन्ध समिति को भंग कर उनके स्थान पर दूसरी प्रबन्ध समिति का गठन करना तथा उसके गठन होने तक संस्था का प्रबन्धन सचिव द्वारा कराना।

14. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के समस्त विवादों का निपटारा करना।

15. ट्रस्ट के विरूद्ध समस्त वाद मा0 न्यायालय, इलाहाबाद में ही मान्य होंगे।

13. **ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं का संविधान –**

ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय/महाविद्यालय एवं अन्य शैक्षिक/तकनीकी आदि संस्थाओं के सुचारू प्रबन्धन हेतु ट्रस्ट के प्राविधानों तथा मान्यता/सम्बद्धता प्रदान करने वाली संस्थाओं के नियमों के अन्तर्गत एक प्रबन्ध समिति निम्न प्रकार गठित होगी जिसके पदाधिकारी निम्न प्रकार होंगे–

अध्यक्ष	–	एक
उपाध्यक्ष	–	एक
प्रबंधक	–	एक
उपप्रबंधक	–	एक (चेयरमैन ट्रस्टी द्वारा 3 वर्ष के लिए नामित)
कोषाध्यक्ष	–	एक

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH V 844712

17 JUL 2009

सदस्य — दो (चेयरमैन ट्रस्टी द्वारा 3 वर्ष के लिए नामित)

संस्था का प्रधान — पदेन

शिक्षक प्रतिनिधि — नियमानुसार शिक्षकों द्वारा 3 वर्ष के लिये नामित।

शिक्षेणत्तर कर्मचारी प्रतिनिधि — नियमानुसार शिक्षणेत्तर कर्मचारियों द्वारा 3 वर्ष के लिए नामित।

उपरोक्त प्रबन्ध समिति के पदेन एवं नामित सदस्यों को छोड़कर शेष का चयन ट्रस्टी मण्डल द्वारा चेयरमैन ट्रस्टी की देख–रेख में अपने में से ही 3 वर्ष के लिए किया जायेगा। यदि कोई पद अपने आप अथवा किन्हीं कारणों से हटा दिये जाने के फलस्वरूप रिक्त हो जाता है तो उस पर नये पदाधिकारी का चयन ट्रस्टियों में से ट्रस्टी मण्डल द्वारा बहुमत से शेष अवधि के लिए किया जायेगा अथवा नामित सदस्यों की स्थिति में चेयरमैन ट्रस्टी द्वारा शेष अवधि के लिए नामित किया जायेगा। प्रबन्ध समिति की बैठक वर्ष में दो बार होगी, आवश्यकता पड़ने पर अन्य बैठकें भी हो सकती है। जिसके लिए सूचना एवं एजेण्डा एक सप्ताह पूर्व सदस्यों को प्रबन्धक द्वारा प्राप्त कराना होगा। आवश्यकता पड़ने पर आकस्मिक बैठक कभी भी एक दिन के अंदर हो सकती है। आपातकाल में प्रबंधक द्वारा स्वविवेक से निर्णय लिया जा सकता है। जिसका बाद में प्रबंध समिति का अनुमोदन अनिवार्य होगा। उसे प्रबन्ध समिति के समस्त निर्णयों से ट्रस्टी मण्डल को अवगत कराकर उसकी सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उसके बाद ही वह उसे क्रियान्वित कर सकता है। ट्रस्टी मण्डल के निर्णयानुसार किसी राष्ट्रीकृत बैंक में संस्था के नाम खाता खोला जायेगा जिसका संचालन प्रबन्धक एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH V 844713

17 JUL 2009

प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं दायित्व –

अध्यक्ष– प्रबन्ध समिति की बैठकों को आहूत करने के लिए प्रबन्धक को निर्देश देना। बैठकों की अध्यक्षता करना। समिति के निर्णयों की घोषणा करना। अनिर्णय की स्थिति में बैठक की कार्यवाही ट्रस्टी मण्डल को संदर्भित करना तथा उसके निर्णय प्राप्त होने पर समस्त सदस्यों को निर्णय से अवगत कराने के लिए प्रबंधक को निर्देशित करना। उसके बाद ही प्रबन्धक उसे कार्यान्वित कर सकता है।

उपाध्यक्ष –

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन करना।

प्रबन्धक –

प्रबन्धक अध्यक्ष के निर्देश पर प्रबन्ध समिति की बैठक आहूत करेगा तथा बैठक की सूचना एक सप्ताह पूर्व सदस्यों को एजेण्डा सहित प्राप्त करायेगा। वह संस्था का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। वह बैंक से लेन–देन, पत्र व्यवहार, न्यायालयीय कार्य, नियुक्तियॉ, वेतन वितरण, क्रय–विक्रय, अनुशासनात्मक कार्यवाहियॉ, आदि करेगा। वह बैठक की कार्यवाही का अभिलेखन करेगा तथा उससे संबंधित समस्त पत्राजातों का रख–रखाव करेगा। संस्था अथवा प्रबंध समिति में किसी प्रकार के विवाद के सम्बन्ध में वह ट्रस्टी मण्डल को अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेगा तथा ट्रस्टीमण्डल द्वारा लिये गये निर्णय को कार्यान्वित करेगा।

उपप्रबंधक –

प्रबंधक की अनुपस्थिति में उसके समस्त दायित्वों का निर्वहन करेगा।

कोषाध्यक्ष –

निधियों का संरक्षण करना, वित्तीय नीति निर्धारण एवं वित्तीय विषयों पर संस्तुति प्रदान करना, बैंक खाते का लेखा–जोखा रखना।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH V 844714

17 JUL 2009

15. ट्रस्ट डीड में संशोधन –

ट्रस्टी मण्डल 2/3 के बहुमत से ट्रस्ट डीड में संशोधन कर सकता है। उसमें कुछ जोड़ सकता है तथा उसके कुछ अंश जो विधि सम्मत न हों को हटा सकता है। उपरोक्त के लिए बैठक की सूचना ट्रस्टियों को कम से कम 15 दिन पूर्व प्राप्त कराना आवश्यक होगा। ट्रस्टी मण्डल चेयरमैन ट्रस्टी को उपरोक्त संशोधनों एवं परिवर्तनों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए अधिकृत करेगा।

अतएव मैं अपने स्वस्थ मस्तिष्क एवं होश हवास से यह ट्रस्ट विलेख (TRUST DEED) लिख दिया कि सनद् रहे और समय पर काम आवे।

दिनांक :

चेयरमैन ट्रस्टी
(प्रवीण कुमार सिंह)

गवाह –1 Amar Nath Singh S/o late Sarabjit Singh
29, Church lane, Allahabad

गवाह–2 शंकर देव त्रिपाठी S/o श्री राम प्रकाश त्रिपाठी ग्राम पो० नीबी कलां झूसी इलाहाबाद

मसविदाकर्ता: Singh
Advocate

क्रमांक दिनांक मूल्य 100 प्रयोजन

स्टाम्प क्रेता का नाम

निवास

स्टाम्प विक्रेता सुधीर कुमार श्रीवास्तव मुख्तार खाना इला०

ला० सं० 476 वव वि 31 मार्च 2007

आज दिनांक **24/09/2009** को

वही सं **4** जिल्द सं **320**

पृष्ठ सं **279** से **300** पर कमांक **377**

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

(बी0 के0 शाही)

उप निबन्धक (प्रथम)

इलाहाबाद

24/9/2009

क्रमांक ------- दिनांक ------- मूल्य 100 प्रायोजन -------

स्टाम्प क्रेता का नाम ....

निवास ....

स्टाम्प विक्रेता सुधीर कुमार श्रीवास्तव मुख्तार खाना इला०

ला० नं० 476 अवधि 31 मार्च 2007

न्यासी

Registration No 377 Year : 2009 Book No. 4

0101 प्रवीण कुमार सिंह

स्व महेन्द्र प्रताप सिंह

163 बी/9 सोहबतिया बाग इलाहाबाद

क्रमांक 296 दिनांक 28.9.08 मूल्य ... कोषागार ...
स्टाम्प क्रेता का नाम ...
निवासी 163/9 ...
स्टाम्प विक्रेता कृष्ण गोपाल मुख्तार खाना, इलाहाबाद
ला० सं० 373 अवधि 31 मार्च 10 तक हस्ताक्षर

न्यास पत्र

11,000.00	220.00	20	240.00	800
न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री /श्रीमती प्रवीण कुमार सिंह
पुत्र / पत्नी श्री स्व महेन्द्र प्रताप सिंह
पेशा
निवासी स्थायी 163 बी/9 सोहबतिया बाग इलाहाबाद
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 24/9/2009 समय 4:29PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

(बी0 के0 शाही)
उप निबन्धक (प्रथम)
इलाहाबाद
24/9/2009

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून
न्यासी
श्री/श्रीमती प्रवीण कुमार सिंह
पुत्र/पत्नी श्री स्व महेन्द्र प्रताप सिंह
पेशा
निवासी 163 बी/9 सोहबतिया बाग इलाहाबाद

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री अमरनाथ सिंह
पुत्र श्री स्व सर्वजीत सिंह
पेशा
निवासी 29 चर्च लेन इलाहाबाद
व श्री शंकर देव त्रिपाठी
पुत्र श्री राम प्रकाश त्रिपाठी
पेशा
निवासी नीबी कलां झूंसी इलाहाबाद
ने की ।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

(बी0 के0 शाही)
उप निबन्धक (प्रथम)
इलाहाबाद
24/9/2009